-1-

(188)

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 20 Rs. COURT बीस TWENTY 10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED CANCELLED

मानननीय अध्यक्ष महोदय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू केम्प जबलपुर {म0प्र0}

~~निगरानी~~
प्रकरण क्रमांक- / A-790-PBR/2011

{1} श्रीमती नर्मदा बेन पटेल पति श्री धनजी भाई पटेल , निवासी मदनमहल जबलपुर ।

{2} श्रीमती माया देवी मक्कड़ पति स्व0 रामप्रकाश मक्कड़, निवासी- 427 शांति निवास ब्यौहारबाग, जबलपुर {म0प्र0} ---------------------- अपीलार्थीगण

श्री संतोष जैसवाल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
15 APR 2011
अतिरिक्त ... कमिश्नर, जबलपुर संभाग

(111)

विरूद्ध

म0प्र0शासन,
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक
जिला जबलपुर ---------------------- प्रत्यार्थी

अपील अंतर्गत धारा 47(ख)(5)34(ख) 8 स्टाम्प अधिनियम :

यह निगरानी प्रकरण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक के प्रकरण क्र0 31/बी-103/33/09-09 मे पारित आदेश दिनांक 9/3/11 पक्षकार नर्मदा बेन पटेल -वि0- शासन के आदेश की सूचना प्राप्त होने पर व्यथित एवं क्षुब्ध होकर निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :--

--0--

निगरानी/अपील के तथ्य

1- यह कि अपीलार्थी क्रमांक 2 माया देवी मक्कड़ के द्वारा मौजा बरेला नं0बं0 105, प0ह0नं0 42/52 खसरा नं0 287 रकबा 1·627 हे0 मे से 0·815 हे0 भूमि असिंचित एक फसली को रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक - 29/11/04 को वाजिब मूल्य 1,00,000/- मे अपीलार्थी क्रमांक 1 श्रीमती नर्मदा बेन पटेल को विक्रय की । बैनामे मे धारा 47 के तहत कलेक्टर

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 790--पीबीआर/11 जिला जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25--5--16 | आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 15--5--14 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।<br><br>सदस्य | |